

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्वयोदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 131/2025

दिनांक:- 4/7/2025

उनवान  
श्री. पुष्पा पति  
रामजीवन  
बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का इसरा B भू अ. नि. 13015 एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम चाँकड़ी प 0 ह 0 इसरा B की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 46 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	नाम की अशुद्धि (पति के नाम में)	पुष्पा पति जीवन शेष इसरा B (प. 0 ह. 0)	पुष्पा पति रामजीवन शेष इसरा B (प. 0 ह. 0)

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
(सो नो)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर देखा है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री पुष्पा पति - रामजीवन
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा  
(सो नो)